भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †3693

दिनांक 16.07.2019/25 आषाढ़,1941 (शक) को उत्तर के लिए

आठवीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाएं

†3693. श्री एस॰ वेंकटेशनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं के विकास के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख): सरकार की नीति सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की है। केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने का कार्य करता है। हिंदी, उर्दू, सिंधी और संस्कृत भाषाओं के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए अलग संस्थान भी अस्तित्व में हैं। सीआईआईएल भाषाओं के विकास के लिए विश्वविद्यालयों, संस्थानों, राज्य सरकार के संस्थानों आदि सहित विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर कार्य करता है। सीआईआईएल भाषाओं के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए भारतवाणी, केन्द्रीय अनुवाद मिशन, लिंग्यूस्टिक डेटा कंसोर्टियम ऑफ इंडियन लेंग्वेज आदि जैसी अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से कार्य करता है।

******